

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग / फार्मासिस्ट / पी-94 / 2018 /

दिनांक:-

-:आदेश:-

श्रीमती पूजा कटारा, फार्मासिस्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नांदरी, ब्लॉक सिकराय, दौसा को गर्भावस्था के दौरान गर्भपात होने के कारण निम्नानुसार दिनांक 12.09.2017 से 11.10.2017 तक (30 दिवस) का मातृत्व अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

Sd

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग / फार्मासिस्ट / पी-94 / 2018 / 337

दिनांक:- 12.10.18

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा को भेजकर लेख है कि राजस्थान सेवा नियम में महिला कर्मचारी को गर्भावस्था के दौरान गर्भपात होने की स्थिति में सेवा काल के दौरान एक या दो बार एवं अधिकतम 6 सप्ताह का मातृत्व अवकाश देय है, अतः श्रीमती पूजा कटारा, फार्मासिस्ट की सेवा पुस्तिका में उक्त अवकाश का इन्द्राज करें।
2. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिकराय।
3. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश/निजी पत्रावली।

ड. प्रभाश्री शर्मा १५/१०/१८ H.K.

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर